

अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर नेठवा

अनुवान बनवारी लाल दनेवा बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना-पत्र संख्या - 208/2025
निर्णय दिनांक 27/06/25

बनवारी लाल दनेवा पुत्र फूलचन्द जाति जाट निवासी पण्डरेऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरु

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरु।
बनाम प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी

-:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार साहवा के समक्ष पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर नेठवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 208 खसरा नं. 569/458 तादादी 0.9324 हैक्ट., खसरा नं. 574/246 तादादी 0.2700 हैक्ट., खसरा नं. 577/234 तादादी 1.1463 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम पण्डरेऊ ताल में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम फूलाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम फूलचन्द है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम बनवारी लाल दनेवा पुत्र फूलचन्द किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कृषिभूमि रोही ग्राम पण्डरेऊ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 208 खसरा नं. 569/458 तादादी 0.9324 हैक्ट., खसरा नं. 574/246 तादादी 0.2700 हैक्ट., खसरा नं. 577/234 तादादी 1.1463 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बनवारी लाल दनेवा पुत्र फूलाराम Delete कर इसके स्थान पर बनवारी लाल दनेवा पुत्र फूलचन्द अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/25 को कैम्प कोर्ट नेठवा में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)